1378/18

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)।

सोमवार, दिनांक 15 जनवरी, 1979 ई०।

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : सप्तम बिहार विधान-सभा के चतुर्थ सत्र के अनागत तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :—5 .... 1—14

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :—64, 256, 418, 709 एवं 1327 .... 14—30

परिशिष्ट— (प्रश्नों के लिखित उत्तर) 31-911

दैनिक निबन्ध 913

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के पीछे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

(1) क्या यह बात सही है कि सिविल सर्जन, पटना ने बिहार हैन्डलूम एवं पावर लूम मार्केटिंग को-आपरेटिव युनियन लि०, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना से घटिया किस्म का गोज एवं बेन्डेज क्लोथ ऊंचे दर पर बिना लेबल के 1978 में क्रय किया है;

(2) क्या यह बात सही है कि मेसर्स बिहार हैण्डलूम एवं पावरलूम मार्केटिंग को-आपरेटिव युनियन लि०, पटना को न तो ड्रग बिक्री लाइसेंस है और न ही ड्रग निर्माण लाइसेंस ही है;

(3) क्या यह बात सही है कि गौज एवं बैन्डेज क्लोथ के निर्माण एवं विक्रय के लिये ड्रग लाइसेंस अनिवार्य है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार दोषी पदाधिकारियों तथा फर्म के विरुद्ध ड्रग ऐक्ट की धारा 348 ए के अन्तर्गत कौन-सी कारंवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग—(1) सिविल सर्जन ने गौज एवं बैंडेज क्लोथ का क्रय मेसर्स बिहार स्टेट हैन्डलूम विकास निगम, पूर्वी गांधी मैदान, पटना से किया है। आपूर्ति की गयी गौज एवं बैन्डेज के थान पर लेबुल नहीं लगा हुआ है।

(2) मेसर्स बिहार स्टेट हैन्डलूम, पावरलूम एवं हैन्डीक्राफ्ट विकास निगम, पूर्वी गांधी मैदान, पटना को इस हेतु लाइसेंस नहीं है।

(3) औषधि एवं अंगराग रूल के अनुसार गौज एवं बैन्डेज क्लोथ के लिये औषधि निर्माण एवं बिक्री के लिये लाइसेंस अनिवार्य है।

(4) फर्म से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर के विरुद्ध आवश्यक कारंवाई की जायगी।

भवन निर्माण हेतु अनुदान की आपूर्ति।

क्ष-100. श्री चतुर्भुज प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) भागलपुर जिला के चांदन, बेलहर एवं शंभुगंज के किन-किन निम्न-प्राथमिक विद्यालय को भवन नहीं है तथा किन-किन के टूटे हैं;

(2) उपर्युक्त भवनों के निर्माण हेतु सरकार कबतक अनुदान देना चाहती है ?

प्रभारी मन्त्री, शिक्षा विभाग—भागलपुर जिलान्तर्गत चान्दन, बेलहर एवं शंभुगंज प्रखन्डों के जिन प्राथमिक विद्यालयों को भवन नहीं है तथा जिनके भवन टूटे हुए हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) निधि की व्यवस्था होने पर प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण एवं मरम्मती की आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

भागलपुर जिले के बेलहर, चान्दन एवं शंभूगंज अंचलान्तर्गत टूटे हुए विद्यालय भवनों की सूची।

अंचल का नाम।	क्रमांक।	विद्यालय का नाम।
(1) बेलहर अंचल	1	प्राथमिक विद्यालय, सेवकागोला।
	2	प्राथमिक विद्यालय, घणरेवा।
	3	प्राथमिक विद्यालय, चम्पातरी।
	4	प्राथमिक विद्यालय, खजाना।
	5	प्राथमिक विद्यालय, दहुबा।
	6	प्राथमिक विद्यालय, खडोघा।
	7	प्राथमिक विद्यालय, किशनपुर।
	8	प्राथमिक विद्यालय, नकटी दौलतपुर।
	9	प्राथमिक विद्यालय, खाया घोला।
	10	प्राथमिक विद्यालय, बहोरना।
	11	प्राथमिक विद्यालय, बदलाचक।
	12	प्राथमिक विद्यालय, नगैल।
	13	प्राथमिक विद्यालय, कुरावां।

अन्चल का नाम ।	क्रमांक ।	विद्यालय का नाम ।
	14	प्राथमिक विद्यालय, घोरी ।
	15	प्राथमिक विद्यालय, धर्मराही ।
	16	प्राथमिक विद्यालय, खडोमा ।
	17	प्राथमिक विद्यालय, चैते ।
	18	प्राथमिक विद्यालय, वगसवा ।
	19	प्राथमिक विद्यालय, बेलहर हरिजन ।
	20	प्राथमिक विद्यालय, वेलहर (कन्या) ।
	21	प्राथमिक विद्यालय, कोशीडीह (वभनगामा) ।
	22	प्राथमिक विद्यालय, सरसंडा ।
	23	प्राथमिक विद्यालय, वेला बासक ।
	24	प्राथमिक विद्यालय, मधुवन
(2) चलचन्दन	1	प्राथमिक विद्यालय, वी० एम० सी० मकतब (उर्दू चान्दन) ।
(3) शम्भूगंज अंचल	1	प्राथमिक विद्यालय- बरोधा ।
	2	प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुर ।
	3	प्राथमिक विद्यालय, रामचन्द्रपुर नौगांव ।
	4	प्राथमिक विद्यालय, सगुनी ।
	5	प्राथमिक विद्यालय, करसोप ।
	6	प्राथमिक विद्यालय, घोषपुर ।
	7	प्राथमिक विद्यालय, जगतपुर ।
	8	प्राथमिक विद्यालय, कसवा उर्दू (बालक)
	9	प्राथमिक विद्यालय, जगतपुर इटारी ।
	10	प्राथमिक विद्यालय, केहुनीचक ।

अन्चल का नाम ।	क्रमांक ।	विद्यालय का नाम ।
	11	प्राथमिक विद्यालय, कन्नाथ ।
	12	प्राथमिक विद्यालय गोरई ।
	13	प्राथमिक विद्यालय, मिट्ठी ।
	14	प्राथमिक विद्यालय, कानोमोह ।
	15	प्राथमिक विद्यालय, नारायणपुर ।
	16	प्राथमिक विद्यालय, पहलानपुर ।
	17	प्राथमिक विद्यालय, जगन्नाथपुर ।
	18	प्राथमिक विद्यालय, बेलसिरा ।
	19	प्राथमिक विद्यालय- कुन्धा ।
	20	प्राथमिक विद्यालय, कानगा ।
	21	प्राथमिक विद्यालय, झालूचक ।
	22	प्राथमिक विद्यालय, एकरिया ।
	23	प्राथमिक विद्यालय, जोगभरन ।
	24	प्राथमिक विद्यालय, बघेला ।
	25	प्राथमिक विद्यालय, बाघामारो ।
	26	प्राथमिक विद्यालय, उल्टो ।
	27	प्राथमिक विद्यालय, लहोरनियां ।
	28	प्राथमिक विद्यालय, मौरासार ।
	29	प्राथमिक विद्यालय, लीलाबरन ।
	30	प्राथमिक विद्यालय, बिहारी ।
	31	प्राथमिक विद्यालय, मेरोडीह ।
(3) सम्भूगंज अंचल	1	प्राथमिक विद्यालय, पटवाडीह (कन्या)—भूमिहीन
	2	प्राथमिक विद्यालय, बढ़ैता ।
	3	प्राथमिक विद्यालय, चटवाडीह (संस्कृत)—भूमिहीन
	4	प्राथमिक विद्यालया चौतरा (हरिजन) (32 डिसमल जमीन निबन्धित) है ।

अन्चल का नाम ।	क्रमांक ।	विद्यालय का नाम ।
	5	प्राथमिक विद्यालय, बाघा (जमीन निबन्धित हाल ही में हुआ है ।
	6	प्राथमिक विद्यालय, गोरियावा—भूमिहीन ।
	7	प्राथमिक विद्यालय कुशहा—भूमिहीन ।
	8	प्राथमिक विद्यालय, केनाली—भूमिहीन ।
	9	प्राथमिक विद्यालय, योगिया—भूमिहीन ।
	10	प्राथमिक विद्यालय, इटावा—भूमिहीन ।
	11	प्राथमिक विद्यालय, दयालडीह—भूमिहीन ।
	12	प्राथमिक विद्यालय,धामरघवा (कन्या)—भूमिहीन ।
भवनविहीन विद्यालयों की सूची, शम्भूगंज अंचल, जिला भागलपुर ।		
	13	प्राथमिक विद्यालय, लालभूमिघा—भूमिहीन ।
	14	प्राथमिक विद्यालय, कुर्माडीह (कन्या)—भूमिहीन ।
	15	प्राथमिक विद्यालय, तेलडीहा—भूमिहीन ।
	16	प्राथमिक विद्यालय, लाखा ।
	17	प्राथमिक विद्यालय, आठमनियाँ ।
	18	प्राथमिक विद्यालय, किरणपुर ।
	19	प्राथमिक विद्यालय, गोपालपुर ।
	21	प्राथमिक विद्यालय, शोभनाथपुर ।
	20	प्राथमिक विद्यालय, करहरिया ।
	22	प्राथमिक विद्यालय, घुसरी ।
	23	प्राथमिक विद्यालय, शम्भुगंज (क०)—भूमिहीन ।
	24	प्राथमिक विद्यालय, चमेलीचक—भूमिहीन ।
	25	प्राथमिक विद्यालय, बेलारी (हरिजन)—भूमिहीन ।

अन्चल का नाम।	क्रमांक।	विद्यालय का नाम।
	26	प्राथमिक विद्यालय, कसवा (उर्दू) (कन्या)—भूमिहीन।
	27	प्राथमिक विद्यालय, महिसाता।
	28	प्राथमिक विद्यालय, रंगनियाँ—भूमिहीन।
	29	प्राथमिक विद्यालय, प्रतापपुर—अस्थाई भवन।
	30	प्राथमिक विद्यालय, तककीपुर—भूमिहीन।
	31	प्राथमिक विद्यालय, मानिक पथड्डा—भूमिहीन।
	32	प्राथमिक विद्यालय, भागवतचक।
	33	प्राथमिक विद्यालय, कुन्नथ ऊचागटकेला।
	34	प्राथमिक विद्यालय, चटया बाजार।

पीरो में सुलभ शौचालय तथा पेशाबखाना बनाना।

ज-16. श्री त्रिभुवन सिंह—क्या मंत्री, नागरिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के पीरो अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत पीरो बाजार पर सुलभ शौचालय तथा पेशाबखाने के अभाव में जगह-जगह गंदगी बनी रहती है;

(2) यदि खण्ड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो पीरो में सुलभ शौचालय तथा पेशाबखाना बनाने के लिये सरकार कब तक योजना स्वीकृत करना चाहती है?

प्रभारी मन्त्री, नागरिक विकास विभाग——(1) उत्तर स्विकारात्मक है।

(2) पीरो में सुलभ शौचालय तथा पेशाबखाना बनाने के लिए निधि उपलब्ध होने के पश्चात राशि आवंटन के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।